

न्यायालय : अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश  
(समक्ष-प्रतिष्ठा अवस्थी)

प्रकरण क्रमांक : 44ए/2015

संस्थित दिनांक : 29.08.2012

1-रोहित शर्मा दत्तक पुत्र सन्तोष कुमार आयु 17 वर्ष भूतपूर्व  
अवयस्क अपने वादमित्र अजीत शर्मा द्वारा जो अब वयस्क है  
निवासी ग्राम चन्दाहरा परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

— वादी

### बनाम

1-सन्तोष कुमार पुत्र बीरवल आयु 41 वर्ष जाति ब्राम्हण  
निवासी ग्राम चन्दाहरा परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

2-श्रीमती निर्मलादेवी पत्नी मनोज कुमार आयु 26 वर्ष जाति  
ब्राम्हण निवासी ग्राम चन्दाहरा परगना गोहद जिला भिण्ड  
म0प्र0

3-वासुदेव पुत्र खच्चूलाल आयु 35 वर्ष जाति बरेठा निवासी  
वार्ड नं0 5 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

4-म0प्र0 राज्य शासन द्वारा कलेक्टर जिला भिण्ड म0प्र0

5-श्रीमती मनोरमा उर्फ गुड्डी पत्नी सन्तोष कुमार आयु 39  
वर्ष जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम चन्दाहरा परगना गोहद जिला  
भिण्ड म0प्र0

— प्रतिवादीगण

( वादी द्वारा-अधिवक्ता श्री विजय श्रीवास्तव )

( प्रतिवादी क्रं0 1 एवं 5 द्वारा अधिवक्ता श्री सतीश मिश्रा )

( प्रतिवादी क्रं0 2 द्वारा अधिवक्ता श्री के0पी0राठौर )

( प्रतिवादी क्रं0 3 व 4 पूर्व से एकपक्षीय )

### निर्णय

( आज दिनांक 30-11-2017 को घोषित )

वादी द्वारा यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध ग्राम चन्दाहरा परगना गोहद में स्थित  
भूमि सर्वे क्रमांक 927 रकवा 0.10, सर्वे क्रमांक 1021 रकवा 0.26, सर्वे क्रमांक 1019  
रकवा 0.21, सर्वे क्रमांक 1074 रकवा 1.49, एवं सर्वे क्रमांक 1033 रकवा 0.72 के 1/2  
भाग की स्वत्व घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा एवं विक्रय पत्र दिनांक 30.09.09 को शून्य घोषित  
कराने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में वादपत्र इस प्रकार है कि ग्राम चन्दहारा परगना गोहद में भूमि सर्वे क्रमांक 927 रकवा 0.10, सर्वे क्रमांक 1021 रकवा 0.26, सर्वे क्रमांक 1019 रकवा 0.21, सर्वे क्रमांक 1074 रकवा 1.49, एवं सर्वे क्रमांक 1033, स्थित है उक्त भूमि पुश्तैनी संपत्ति है। उक्त भूमि के दृश्यमान स्वामी के रूप में प्रतिवादी क्रमांक 1 का नाम अंकित है लेकिन उक्त भूमि पुश्तैनी भूमि है जिसमें वादी का भी हक है। उक्त विवादित भूमि वादी की पैतृक संपत्ति है। प्रतिवादी क्रमांक 1 वादी का दत्तक पिता है इसलिए संपूर्ण भूमि दृश्यमान स्वामी के रूप में प्रतिवादी क्रमांक 1 के नाम पर अंकित है जबकि वादी प्रतिवादी क्रमांक 1 का पुत्र है एवं विवादित भूमि में उसका हिस्सा 1/2 है। प्रतिवादी क्रमांक 1 के कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई थी इसलिए प्रतिवादी क्रमांक 1 ने दिनांक 09.01.06 को वादी को विधिवत गोद लिया था तथ विधिवत गोदनामा रजिस्टार कार्यालय गोहद में पंजीकृत कराया था तथा समाज में प्रचलित प्रथा के अनुसार उत्सव भी हुआ था। इस प्रकार वादी प्रतिवादी क्रमांक 1 का दत्तक पुत्र है एवं विवादित भूमि के 1/2 भाग पर उसका हक है। लेकिन प्रतिवादी क्रमांक 1 ने भूमि सर्वे क्रमांक 1033 रकवा 0.72 बिना किसी विधिक आवश्यकता के प्रतिवादी क्रमांक 2 को दिनांक 30.09.09 को विक्रय कर दी है एवं उक्त विक्रय पत्र वादी के मुकाबले व्यर्थ होकर शून्य है इसी प्रकार दिनांक 20.07.12 को प्रतिवादी क्रमांक 1 ने प्रतिवादी क्रमांक 3 के हक में सर्वे क्रमांक 1074 रकवा 1.49 का विक्रय अनुबंध निष्पादित किया है। प्रतिवादी क्रमांक 1 समस्त पुश्तैनी संपत्ति को विक्रय करना चाहता है। प्रतिवादी क्रमांक 1 के संतान न होने के कारण उसे गलत आदतें पड़ गयी हैं। यदि प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा संपूर्ण भूमि विक्रय कर दी गयी तो वादी का जीवन नष्ट हो जायेगा। वादी प्रतिवादी क्रमांक 1 का दत्तक पुत्र होकर उसका वारिस है। वाद के विचारण के दौरान प्रतिवादी क्रमांक 1 ने प्रतिवादी क्रमांक 5 मनोरमा के हक में लिखतम पारिवारिक बंटवारा दिनांक 12.04.05 को कर दिया है तथा वसीयत भी दिनांक 12.04.05 को कर दी है जिससे वादी के हक प्रभावित हो रहे हैं। उक्त दस्तावेज वादी के मुकाबले व्यर्थ होकर शून्य है। वादी प्रतिवादी क्रमांक 1 का दत्तक पुत्र है एवं प्रतिवादी की व्यवस्था करने का पूरा हक वादी का है। परन्तु प्रतिवादी क्रमांक 1 समस्त भूमि को विक्रय करने के लिए प्रयत्नशील है यदि भूमि बिक गयी तो वादी का जीवन संकट में पड़ जायेगा। अतः वाद प्रस्तुत कर वादी का निवेदन है कि वादी को वादग्रस्त भूमि के 1/2 भाग का स्वत्व एवं आधिपत्यधारी घोषित किया जावे तथा विक्रय पत्र दिनांक 30.09.09 को शून्य घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 को स्थायी रूप से निषेधित किया जावे कि वह वादग्रस्त भूमि का अंतरण न करें।

3. प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा वादपत्र का खण्डन करते हुए उत्तर वादपत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 वादग्रस्त भूमि का स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है। प्रतिवादी क्रमांक 1 वादी का दत्तक पिता है। प्रतिवादी क्रमांक 1 संपूर्ण भूमि का स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है एवं विवादित भूमि के 1/2 भाग पर वादी का कोई स्वत्व नहीं है। वादी प्रतिवादी क्रमांक 1 का दत्तक पुत्र है। प्रतिवादी क्रमांक 1 की विवादित भूमि से वादी का कोई संबंध नहीं है प्रतिवादी को अपनी संपत्ति की व्यवस्था करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है मात्र वादी को गोद ले लेने से प्रतिवादी क्रमांक 1 का हक समाप्त नहीं होता है। प्रतिवादी क्रमांक 1 को अपनी जीवनयापन एवं अपनी पत्नी के भरण पोषण के लिए जब भी आवश्यकता होगी वह अपनी भूमि का अपने अधिकारों के तहत व्यवस्था कर सकता है। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने भूमि सर्वे क्रमांक 1033 गनेशराम से क्रय की थी उक्त संपत्ति प्रतिवादी क्रमांक 1 की स्वअर्जित संपत्ति है जिसे विक्रय करने का प्रतिवादी क्रमांक 1 को पूर्ण अधिकार है। प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा धनराशि की आवश्यकता होने पर प्रतिवादी क्रमांक 3 के हक में विक्रय अनुबंध किया गया है जिसका प्रतिवादी क्रमांक 1 को पूर्ण अधिकार है वादी द्वारा प्रतिवादी पर गलत लांछन लगाये

गये हैं वादी स्वयं नशे का आदी है एवं जुआ खेलता है। प्रतिवादी क्रमांक 1 व उसकी पत्नी के समझाने पर वादी उनके साथ अभद्र व्यवहार करता है एवं उनकी मारपीट करता है जिससे परेशान होकर प्रतिवादी क्रमांक 1 ग्राम चंदहारा को छोड़कर गोहद में किराये के मकान में रह रहा है। प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा वादी की हर तरह से भरण पोषण और शिक्षा की व्यवस्था की गयी है परन्तु वादी प्रतिवादी क्रमांक 1 व उसकी पत्नी के साथ गलत व्यवहार करता है। वादी प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 5 का दत्तक पुत्र नहीं है ना ही उसका जमीन में 1/2 भाग पर हक है प्रतिवादी को अपनी भूमि का बंटवारा करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादी क्रमांक 1 विवादित भूमि का एकमात्र स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है। वादी द्वारा असत्य आधारों पर वाद प्रस्तुत किया गया है जो निरस्ती योग्य है।

4. प्रतिवादी क्रमांक 2 द्वारा वादपत्र का खण्डन करते हुए उत्तर वादपत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया है कि वादग्रस्त भूमि से वादी का कोई संबंध नहीं है। प्रतिवादी क्रमांक 1 के द्वारा अपने हिस्से की भूमि में से मिन रकवा विक्रय पत्र दिनांक 30.09.09 के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 2 के पक्ष में विक्रय की गयी है। प्रतिवादी क्रमांक 1 संपूर्ण विवादग्रस्त भूमि का एकमात्र स्वामी है एवं उन्हीं अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रतिवादी क्रमांक 1 के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 2 के हक में बयनामा किया गया है। वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा दुरभि संधि करके प्रतिवादी क्रमांक 2 के विरुद्ध यह दावा प्रस्तुत किया गया है। वादग्रस्त भूमि का रकवा 2.06 है० है। यदि न्यायालय वादी को उसके हिस्से की जमीन भी दे दे तब भी प्रतिवादी क्रमांक 1 के पास प्रतिवादी क्रमांक 2 को विक्रय की गयी भूमि के अलावा अन्य भूमि शेष रहती है इसलिए प्रतिवादी क्रमांक 2 के पक्ष में किए गए विक्रय पत्र को शून्य घोषित किया जाना आवश्यक नहीं है। विक्रय पत्र निष्पादित होने के पश्चात से ही प्रतिवादी क्रमांक 2 क्रय की गयी भूमि पर काबिज होकर कृषि कार्य कर रही है। वादी द्वारा असत्य आधारों पर वाद प्रस्तुत किया गया है जो निरस्ती योग्य है।

5. प्रतिवादी क्रमांक 5 द्वारा वादपत्र का खण्डन करते हुए उत्तर वादपत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया है कि सर्वे क्रमांक 1074 रकवा 1.49 आरे भूमि की पारिवारिक व्यवस्थापन के अनुसार प्रतिवादी क्रमांक 5 स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है तथा शेष विवादित भूमि का स्वामी उसका पति संतोष है। वादी का वादग्रस्त भूमि से कोई संबंध नहीं है। उसका पति शराब पीता है शराब पिलाकर उसे व उसके पति को जबरन गोहद लाया गया था तथा हस्ताक्षर करा लिए गए थे लिखापट्टी उसे पढकर नहीं सुनाई गयी थी दत्तक ग्रहण की कोई स्वीकृति उसके द्वारा नहीं दी गयी है। विवादित भूमि में वादी का कोई हिस्सा नहीं है। उसके द्वारा वादी को कभी भी गोद नहीं लिया गया है। वादी के पिता गनेशराम ने उसकी भूमि हड़पने के लिए उसके पति को शराब पिलाकर गोदनामा निष्पादित करा लिया है तथा उनके हस्ताक्षर करा लिए हैं। विवादित भूमि में वादी का कोई हिस्सा नहीं है। सर्वे क्रमांक 1033 को उसके पति ने गनेशराम से पूर्ण प्रतिफल लेकर क्रय किया था। उक्त भूमि प्रतिवादी क्रमांक 1 की स्वअर्जित संपत्ति है जिसका विक्रय आवश्यकता होने से प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा किया गया है। गोदनामे की लिखापट्टी के समय वादी की आयु 16 वर्ष से अधिक थी तथा कानूनन 14 वर्ष से अधिक आयु के बालक को गोद नहीं लिया जा सकता है। उसके व उसके पति ने वादी को कभी भी गोद नहीं लिया है और ना ही उनकी जानकारी में कोई लिखापट्टी हुई है धोखा देकर कराये गये गोदनामे से वादी को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होता है गोदनामा जमीन हड़पने के उद्देश्य से किया गया है। वादी द्वारा असत्य आधारों पर वाद प्रस्तुत किया गया है जो निरस्ती योग्य है।

6. यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक 3 एवं 4 के तामील उपरांत

उपस्थित न होने से उनके विरुद्ध प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है।

1. उपरोक्त अभिवचनों के अवलोकन से मेरे द्वारा निम्नलिखित वाद प्रश्न विरचित किये गये हैं जिनके सम्मुख मेरे निष्कर्ष अंकित हैं।

वाद प्रश्न

निष्कर्ष

1. क्या वादी वादग्रस्त भूमि खसरा क्रमांक 927 रकवा 0.10, 1021 रकवा 0.26, 1019 रकवा 0.21, 1074 रकवा 0.149 वाके मौजा चन्दहरा परगना गोहद एवं 1033 रकवा 0.72 वाके मौजा चन्दहरा परगना गोहद में स्थित में हिस्सा 1/2 भाग का भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी है ?
2. क्या वादग्रस्त भूमि के संबंध में किया गया विक्रय पत्र दिनांक 30.09.09 एवं विक्रय अनुबंध पत्र दिनांक 20.07.12 वादी के मुकाबले शून्य एवं प्रभावहीन है ?
3. क्या प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि को अवैधानिक रूप से अन्तरित अथवा वयनित करने का प्रयास किया गया ?
4. क्या वादी द्वारा कब्जा की सहायता नहीं चाहे जाने के कारण उसका दावा धारा 34 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के तहत अप्रचलनशील है ?
5. क्या वादी ने वाद का उचित मूल्यांकन कर उस पर विहित न्यायशुल्क अदा किया है ?
6. सहायता एवं व्यय?

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

वाद प्रश्न क्रमांक-1

7. उक्त वादप्रश्न को प्रमाणित करने का भार वादी पर है। उक्त वादप्रश्न के संबंध में वादी रोहित शर्मा वा0सा01 द्वारा अपने वादपत्र एवं शपथपत्र में यह अभिवचनित किया गया है कि भूमि सर्वे क्रमांक 929 रकवा 0.10, 1021 रकवा 0.26, 1019 रकवा 0.21, 1074 रकवा 1.49, 1033, 1445, एवं 1462 ग्राम चन्दहारा में स्थित है। उक्त संपत्ति पैतृक संपत्ति थी। उक्त संपत्ति में से भूमि सर्वे क्रमांक 929 रकवा 0.10, 1021 रकवा 0.26, 1019 रकवा 0.21, 1074 रकवा 1.49 जो ग्राम चन्दहारा में स्थित है। उक्त भूमि दृश्यमान स्वामी के रूप में प्रतिवादी क्रमांक 1 के नाम से अंकित है उक्त भूमि पैतृक संपत्ति है जिस पर वादी का हक है उक्त विवादित भूमि वादी की पैतृक संपत्ति है चूंकि प्रतिवादी क्रमांक 1 वादी का दत्तक पिता है इसलिए संपूर्ण भूमि पर दृश्यमान स्वामी के रूप में उनका नाम अंकित है जबकि वादी प्रतिवादी क्रमांक 1 का पुत्र है इसलिए उक्त विवादित भूमि में वादी का हक 1/2 है। प्रतिवादी क्रमांक 1 के कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई थी इस कारण प्रतिवादी क्रमांक 1 ने अपनी संपत्ति की सुरक्षा तथा सेवा के लिए वादी को विधिवत गोद लिया था एवं दिनांक 06.01.06 को सब रजिस्टार कार्यालय गोहद में गोदनामा पंजीकृत किया था तथा गवाहों की गवाही भी हुई थी एवं समाज में प्रचलित प्रथा के अनुसार उत्सव भी हुआ था। वादी प्रतिवादी क्रमांक 1



का दत्तक पुत्र है एवं वादग्रस्त भूमि के 1/2 भाग पर उसका हक है। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने बिना किसी वैधानिक आवश्यकताओं के सर्वे क्रमांक 1033 रकवा 0.72 का विक्रय प्रतिवादी क्रमांक 2 निर्मलादेवी को दिनांक 30.09.09 को कर दिया है तथा भूमि सर्वे क्रमांक 1074 रकवा 1.49 का विक्रय अनुबंध दिनांक 20.07.12 को प्रतिवादी क्रमांक 3 वासुदेव के हक में कर दिया है उक्त विक्रय पत्र एवं अनुबंध पत्र वादी के मुकाबले व्यर्थ होकर शून्य है। प्रतिवादी क्रमांक 1 के कोई संतान न होने से उसकी गलत आदत पड़ गयी है इसलिए वह संपूर्ण भूमि को विक्रय करने के लिए प्रयत्नशील है जबकि वादी प्रतिवादी क्रमांक 1 का दत्तक पुत्र होकर उसका वारिस है। वादी द्वारा अपने अभिवचनों के समर्थन में ग्राम पंचायत चंदहारा का प्रमाणीकरण प्र0पी-3, विक्रय अनुबंध दिनांक 20.07.12 की सत्यापित प्रतिलिपि प्र0पी-4, गोदनामा दिनांक 06.01.06 प्र0पी-5 प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है।

8. प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 6 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसका जन्म दिनांक 17.01.1995 है पद क्रमांक 7 में उक्त साक्षी द्वारा व्यक्त किया गया है कि उसे जानकारी नहीं है कि सर्वे क्रमांक 1019 रकवा 0.21 आरे संतोष ने स्वयं क़य किया था या बाबा ने क़य किया था। वह हिन्दी के महीने नहीं बता सकता है गोदनामे की लिखापढ़ी जनवरी 2006 में हुई थी गोदनामे की लिखापढ़ी उसके सामने हुई थी।

9. वादी साक्षी बाबूसिंह वा0सा02, श्यामवीर वा0सा03, अली हसन वा0सा04 एवं श्रीकृष्ण वा0सा05 ने भी वादी रोहित वा0सा01 के कथन का समर्थन किया है तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा वादी रोहित को दत्तक लिए जाने बाबत प्रकटीकरण किया है।

10. प्रतिवादी संतोष प्र0सा01 द्वारा वादी के अभिवचनों का खण्डन करते हुए शपथपत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया है कि वह वादग्रस्त भूमि का स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है। उसने अपने होश हवाश में रोहित को कभी गोद नहीं लिया है रोहित के पिता गनेशराम उसके बड़े भाई हैं तथा वह कथित दिनांक के दो दिन पहले उसे बहलाकर गोहद लाये थे और उसे अपने घर पर अत्यधिक शराब पिला दी थी तथा जबरन उसकी पत्नी को भी गांव से बुला लिया था एवं उसे तथा उसकी पत्नी को मार देने की धमकी देकर उसके स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर करा लिए थे उसने स्वेच्छा से रोहित को कभी गोद नहीं लिया था। वह अपनी वादग्रस्त जमीन का एकमात्र स्वामी है। गोदनामे के संबंध में किसी धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन गांव में नहीं किया गया था और ना ही कोई भोज दिया गया था। उसके कोई संतान नहीं है इसलिए गनेशराम ने उसकी जमीन हड़पने के उद्देश्य से गोदनामे की लिखापढ़ी करा ली थी।

11. प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 11 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसने अपने जवाबदावे में यह नहीं लिखवाया था कि उसने रोहित को गोद लिया है वकील साहब ने गलत लिख दिया होगा। उसे जानकारी नहीं है कि गोदनामे का पंजीयन रजिस्टार कार्यालय गोहद में हुआ था।

12. प्रतिवादी साक्षी मनोरमा उर्फ गुड्डी प्र0सा02 द्वारा भी प्रतिवादी संतोष प्र0सा01 के कथन का समर्थन किया गया है तथा व्यक्त किया गया है कि उसके व उसके पति ने कभी भी रोहित को गोद नहीं लिया था। उसका पति शराब पीता है। उसे व उसके पति को जबरन गोहद लाया गया था एवं उसके पति को शराब पिलाई गयी थी तथा नशे की हालत में उसे कचहरी ले जाकर जबरन किन्हीं कागजों पर हस्ताक्षर करा लिए गए थे तथा पति को जान से मारने की धमकी देकर उसका अंगूठा करा लिया गया था। गोदनामे की लिखापढ़ी रोहित के पिता गनेशराम ने फर्जी तौर पर करा ली है।

13. प्रतिवादी साक्षी रविन्द्र शर्मा ने भी प्रतिवादी संतोष प्र0सा01 के कथन का समर्थन किया है तथा व्यक्त किया है कि रोहित के पिता गनेशराम ने शराब के नशे में

प्रतिवादी से गोदनामे की लिखापट्टी करा ली है।

14. तर्क के दौरान वादी अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा वादी को रजिस्ट्रीकृत दत्तक विलेख द्वारा गोद लिया गया है। वादी प्रतिवादी क्रमांक 1 का दत्तक पुत्र है इस कारण वादग्रस्त भूमि पर वादी का 1/2 भाग पर हक है। वादी की ओर से उक्त संबंध में न्यायदृष्टांत नन्दा विरुद्ध पूना 1996 आर0एम0 382 प्रस्तुत किया गया है जिसमें यह वर्णित किया गया है कि यदि रजिस्ट्रीकृत दत्तक विलेख का खण्डन नहीं किया गया है तो दत्तक मौखिक साक्ष्य द्वारा भी साबित है। वादी अधिवक्ता द्वारा न्यायदृष्टांत नरेन्द्रसिंह और अन्य विरुद्ध भगवानसिंह 2012 आर0एम0 118 भी प्रस्तुत किया गया है जिसमें यह वर्णित किया गया है कि दत्तक पुत्र अपने जन्म के कुटुम्ब से बाहर हो जाता है एवं दत्तक से दत्तक पुत्र का उसके कुटुम्ब के सदस्यों से संबंध समाप्त कर देता है। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान यह व्यक्त किया गया है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा कभी भी वादी को दत्तक नहीं लिया गया है एवं वादी के पिता द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 की जमीन हड़पने के उद्देश्य से गोदनामे की फर्जी लिखापट्टी करायी गयी है। वादी दत्तक विलेख प्रमाणित करने में असफल रहा है। तर्क के दौरान प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा न्यायदृष्टांत सुदर्शन रेड्डी विरुद्ध पवाथी रेड्डी ए.आई.आर. 1996 आंध्र प्रदेश 300 न्यायदृष्टांत दुर्गापाडा जना विरुद्ध निमाईचरन जना और अन्य ए.आई.आर. 1996 कलकत्ता 23, न्यायदृष्टांत भुवनेश्वर प्रसाद विरुद्ध बिहार राज्य ए.आई.आर. 1995 पटना 1, न्यायदृष्टांत लक्ष्मीधर सत्यपति मृत और अन्य विरुद्ध लिंगराज सत्यपति और अन्य ए.आई.आर. 1999 उडीसा 12 एवं न्यायदृष्टांत सिवाथी बारल मृत द्वारा वारिसान विरुद्ध दुंगल बारल ए.आई.आर. 2000 उडीसा 158 प्रस्तुत किए गए हैं।

15. प्रस्तुत प्रकरण में वादी रोहित शर्मा वा0सा01 द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि उसके अवयस्क रहने के दौरान उसके भाई अजीत शर्मा द्वारा हस्तगत वाद प्रस्तुत किया गया था एवं वर्तमान में वह वयस्क हो चुका है। उक्त साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि वह प्रतिवादी क्रमांक 1 का दत्तक पुत्र है एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा उसे दिनांक 06.01.06 को पंजीकृत दत्तक विलेख द्वारा गोद लिया गया था। वादग्रस्त भूमि उसकी पैतृक संपत्ति है एवं वह प्रतिवादी क्रमांक 1 का दत्तक पुत्र है इस कारण वादग्रस्त भूमि के 1/2 भाग पर उसका हक है तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 का नाम संपूर्ण वादग्रस्त भूमि पर दृश्यमान स्वामी के रूप में अंकित है। जबकि प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा उक्त सभी तथ्यों का खण्डन किया गया है एवं व्यक्त किया गया है कि वादी रोहित उसका दत्तक पुत्र नहीं है। वादी रोहित शर्मा वा0सा01 द्वारा अपने अभिवचनों के समर्थन में प्र0पी-5 का दत्तक विलेख अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है जिससे यह दर्शित है कि दिनांक 06.01.06 को संतोष कुमार एवं गुड्डीबाई द्वारा वादी रोहित शर्मा को विधिवत दत्तक लिया गया था। यद्यपि प्रतिवादी संतोष प्र0सा01 एवं उसकी पत्नी मनोरमा उर्फ गुड्डी प्र0सा02 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि उनके द्वारा स्वेच्छापूर्वक वादी रोहित को गोद नहीं लिया गया था तथा रोहित के पिता गनेशराम ने प्रतिवादी संतोष को शराब पिलाकर एवं संतोष एवं उसकी पत्नी मनोरमा उर्फ गुड्डीबाई को डराकर प्र0पी-5 का दत्तक विलेख पर उनके हस्ताक्षर कराये थे परन्तु प्रतिवादी संतोष प्र0सा01 का उक्त कथन सत्य नहीं है। यदि वास्तव में वादी अथवा वादी के पिता द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 संतोष एवं उसकी पत्नी गुड्डीबाई को डरा धमकाकर प्र0पी-5 पर उनके हस्ताक्षर कराये गये थे तो उक्त संबंध में प्रतिवादी संतोष प्र0सा01 को पुलिस में अथवा न्यायालय में कार्यवाही करनी चाहिए थी परन्तु प्रतिवादी संतोष प्र0सा01 द्वारा तत्समय उक्त संबंध में पुलिस को कोई शिकायत नहीं की गयी थी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्र0पी-5 का दत्तक विलेख पंजीकृत दस्तावेज है उक्त एवं उक्त दत्तक विलेख का पंजीयन

उपपंजीयक गोहद जिला भिण्ड में हुआ है। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता है कि वादी ने प्रतिवादी क्रमांक 1 संतोष एवं उसकी पत्नी को उपपंजीयक के समक्ष डरा धमकाकर हस्ताक्षर कराये थे। इसके अतिरिक्त संतोष प्र0सा01 ने अपने शपथपत्रीय मुख्यपरीक्षण में यह व्यक्त किया है कि वादी के पिता गनेशराम दिनांक 06.01.06 के दो दिवस पहले उसे बहलाकर गोहद लाये थे तथा उसे अत्यधिक शराब पिलाकर एवं उसकी पत्नी को डरा धमकाकर गोदनामे पर हस्ताक्षर कराये थे परन्तु यह बात प्रतिवादी संतोष प्र0सा01 द्वारा अपने जवाबदावे में नहीं बतायी गयी है ऐसी स्थिति में प्रतिवादी का उक्त अभिवचन स्वीकार योग्य नहीं है।

16. वादी रोहित वा0सा01 द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वह प्रतिवादी क्रमांक 1 का दत्तक पुत्र है एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा उसे विधिवत दत्तक लिया गया था। वादी द्वारा उक्त संबंध में प्र0पी-5 का दत्तक विलेख भी प्रस्तुत किया गया है एवं हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 16 के अनुसार "जब कभी भी तत्समय प्रवर्तित विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई दस्तावेज जिसमें किसी किए गए दत्तक का अभिलिखित होना तात्पर्य हो और जो अपत्य को दत्तक देने और लेने वाले व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित हो किसी न्यायालय के समक्ष पेश किया जाये तब जब तक कि और यदि उसे नासाबित न कर दिया जाये वह न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि वह दत्तक अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन में किया गया है।"

17. प्रस्तुत प्रकरण में वादी द्वारा प्र0पी-5 का रजिस्ट्रीकृत दत्तक विलेख प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी संतोष प्र0सा01 द्वारा प्र0पी-5 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे प्र0पी-5 का दस्तावेज नासाबित होता हो। ऐसी स्थिति में प्र0पी-5 के दस्तावेज के सही होने की उपधारणा की जायेगी।

18. वादी रोहित वा0सा01 द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वह प्रतिवादी क्रमांक 1 का दत्तक पुत्र है इस आधार पर वह वादग्रस्त भूमि के 1/2 भाग का स्वत्वधारी है। यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाये कि वादी प्रतिवादी क्रमांक 1 का दत्तक पुत्र है तो भी इससे प्रतिवादी क्रमांक 1 अपनी संपत्ति को अंतरित करने की शक्ति से वंचित नहीं हो जाता है। हिन्दू दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 13 के अनुसार "कोई दत्तक किसी दत्तक पिता या माता को अपनी संपत्ति जीवाभ्यंतर अंतरण द्वारा या बिल द्वारा व्ययनित करने की शक्ति से वंचित नहीं करता है।" इस प्रकार उक्त अधिनियम की धारा 13 स्पष्ट रूप से यह प्रावधानित करती है कि दत्तक ग्रहण के पश्चात दत्तक पिता या माता अपनी संपत्ति को अंतरित करने की शक्ति से वंचित नहीं हो जाते हैं।

19. वादी रोहित वा0सा01 द्वारा यह भी अभिवचनित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि पैतृक संपत्ति है परन्तु वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज खसरा खतौनी इत्यादि अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किए गए हैं जिससे यह दर्शित होता हो कि वादग्रस्त संपत्ति पैतृक संपत्ति थी। वादी द्वारा ऐसा भी कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह दर्शित होता हो कि वादग्रस्त संपत्ति प्रतिवादी क्रमांक 1 के स्वामित्व की संपत्ति है। वादी द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 1 का नाम दृश्यमान स्वामी के रूप में अंकित है परन्तु वादी द्वारा उक्त संबंध में कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह दर्शित होता हो कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी क्रमांक 1 के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित है जो तथ्य दस्तावेज से साबित हो सकते हैं उन्हें दस्तावेजों के माध्यम से ही साबित करना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह

दर्शित होता हो कि वादग्रस्त भूमि वादी की पैतृक संपत्ति है। वादी द्वारा ऐसा भी कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह दर्शित होता हो कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी क्रमांक 1 के स्वामित्व की संपत्ति है ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता है कि वादी वादग्रस्त भूमि के 1/2 भाग का स्वत्वधारी है।

20. फलतः उपरोक्त चरणों में की गयी विवेचना से वादी यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि वह ग्राम चन्दहारा परगना गोहद में स्थित वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 927 रकवा 0.10, 1021 रकवा 0.26, 1019 रकवा 0.21, 1074 रकवा 1.49, 1033 रकवा 0.72, के 1/2 भाग का स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है। फलतः उपरोक्त वादप्रश्न वादी के पक्ष में प्रमाणित नहीं है।

#### वाद प्रश्न क्रमांक-2 एवं 3

21. साक्ष्य की पुनरावृत्ति के रोकने के लिए उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एकसाथ किया जा रहा है।

22. उक्त वादप्रश्नों का निष्कर्ष वादप्रश्न क्रमांक 1 के निष्कर्ष पर आधारित है। वादप्रश्न क्रमांक 1 के निष्कर्ष अनुसार वादी वादग्रस्त भूमि के 1/2 भाग पर अपना स्वत्व एवं आधिपत्य प्रमाणित करने में असफल रहा है। चूंकि वादग्रस्त भूमि पर वादी का स्वत्व प्रमाणित नहीं है। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि को अवैधानिक रूप से अंतरित अथवा व्ययनित करने का प्रयास किया गया है एवं यह भी नहीं माना जा सकता है कि विक्रय पत्र दिनांक 30.09.09 शून्य घोषित किए जाने योग्य है। फलतः उक्त वादप्रश्न भी वादी के पक्ष में प्रमाणित नहीं है।

#### वाद प्रश्न क्रमांक-4

23. उक्त वादप्रश्न के संबंध में प्रतिवादी क्रमांक 2 द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वह वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रही है। वादी द्वारा वादपत्र में कब्जे की सहायता नहीं चाही गयी है। अतः प्रस्तुत वाद संचालन योग्य नहीं है।

24. प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने वादग्रस्त भूमि के 1/2 भाग पर अपना स्वत्व होना अभिवचनित किया है। वादी ने प्रतिवादी क्रमांक 1 के साथ वादग्रस्त भूमि का सहस्वामी एवं सह आधिपत्यधारी होने बाबत अभिवचन किया है। चूंकि वादी द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वह वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी क्रमांक 1 के साथ 1/2 भाग का सहस्वामी एवं सह आधिपत्यधारी है। ऐसी स्थिति में वादी को प्रथक से कब्जे की सहायता मांगना आवश्यक नहीं था। फलतः प्रस्तुत वाद कब्जे की सहायता न चाहे जाने के कारण अप्रचलनशील नहीं है। फलतः उक्त वादप्रश्न का निराकरण उसके निष्कर्ष अनुसार किया गया।

#### वाद प्रश्न क्रमांक-5

25. उक्त वादप्रश्न के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादी ने विक्रय पत्र दिनांक 30.09.09 को शून्य घोषित किए जाने हेतु वाद प्रस्तुत किया है एवं वादी द्वारा उक्त दस्तावेज के अनुसार वाद का मूल्यांकन नहीं किया गया है एवं न्यायशुल्क अदा नहीं किया गया है। अतः प्रस्तुत वाद संचालन योग्य नहीं है जबकि वादी द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि उसके द्वारा वाद का मूल्यांकन उचित रूप से कर पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया है।

26. प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादी द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 30.09.09 एवं अनुबंध दिनांक 20.07.12 के अनुसार वाद



का मूल्यांकन नहीं किया गया है। विक्रय पत्र दिनांक 30.09.09 अभिलेख पर नहीं है एवं इसके अतिरिक्त वादी के अभिवचनों से यह दर्शित है कि वादी विक्रय पत्र दिनांक 30.09.09 तथा अनुबंध दिनांक 20.07.12 में पक्षकार नहीं है। ऐसी स्थिति में वादी को विक्रय पत्र दिनांक 30.09.09 एवं अनुबंध दिनांक 20.07.12 के अनुसार वाद का मूल्यांकन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

27. वादी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि की स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है एवं न्यायालय फीस अधिनियम 1870 की धारा 7(4)(सी) के अनुसार "घोषणात्मक डिक्री या आदेश अभिप्राप्त करने के वादों में जहां पारिणामिक अनुतोष प्रार्थित है वहां वादी इप्सित अनुतोष की रकम का कथन करेगा।"

28. प्रस्तुत प्रकरण में वादी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि की स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है एवं वादी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि के लगान के 20 गुने के आधार पर वाद का मूल्यांकन कर तदानुसार स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु न्यायशुल्क अदा किया गया है। इस प्रकार वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन उचित रूप से कर पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया है। फलतः उक्त वादप्रश्न वादी के पक्ष में प्रमाणित है।

#### सहायता एवं व्यय

29. समग्र अवलोकन से वादी अपना वाद प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः प्रस्तुत वाद निरस्त किया जाता है।

1. वाद का सम्पूर्ण व्यय वादी द्वारा वहन किया जायेगा।
2. अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा सूची अनुसार जो भी न्यून हों देय होगा।

तदानुसार जयपत्र निर्मित किया जावें।

स्थान – गोहद

दिनांक – 30-11-2017

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर,  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया  
सही/—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

अतिव्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1  
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया  
सही/—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

अतिव्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1  
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)